राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों
के लिए आचार संहिता

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2005

राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों
के लिए आचार संहिता

राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता

राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता पर व्यापक विचार-विमर्श करने के पश्चात् 8 दिसम्बर, 1998 को सभा में प्रस्तुत तथा 15 दिसम्बर, 1999 को सभा द्वारा स्वीकृत अपने पहले प्रतिवेदन में आचार समिति इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। समिति ने अपन चौथे प्रतिवेदन में भी सदस्यों के लिए आचार संहिता पर विचार किया तथा समिति का यह विचार था कि पहले प्रतिवेदन में उल्लिखित संहिता काफी व्यापक है। तथापि, समिति ने यह महसूस किया कि सदस्यों की सूचना और अनुपालन के लिए इसे दोहराना आवश्यक है। समिति का चौथा प्रतिवेदन 14 मार्च, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था और 20 अप्रैल, 2005 को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था।

हमारे देश की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता के निम्नलिखित ढांचे की सिफारिश की थी:-

राज्य सभा के सदस्यों को उनके प्रति व्यक्त किए गए जनता के विश्वास को कायम रखने के उनके उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए और उनके जनादेश का जनता की भलाई के लिए पालन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थाओं और इन सबसे ऊपर आम जनता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें संविधान की उद्देशिका में दिए गए आदर्शों को मूर्त्त रूप देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्हें अपने व्यवहार में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:-

(i) **सदस्यों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संसद की बदनामी होती हो तथा जिससे उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो।**

(ii) **सदस्यों को जनता की आम भलाई के लिए संसद सदस्य के नाते अपनी हैसियत का अवश्य उपयोग करना चाहिए।**

(iii) अपने व्यवहार के दौरान यदि सदस्यों को ऐसा लगता हो कि उनके व्यक्तिगत हितों और जनता का विश्वास जो उन्हें प्राप्त है, के बीच कोई विरोध है तो उन्हें ऐसे किसी विरोध का समाधान इस तरीके से करना चाहिए कि सार्वजनिक पद के उनके कर्त्तव्य के सामने उनके निजी हित गौण हो जाएं।

(iv) सदस्यों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके निजी वित्तीय हित और उनके परिवार[#] केसदस्यों के हित तथा सार्वजनिक हित के बीच में कोई विरोध उत्पन्न न हो और यदि ऐसा कोई विरोध कभी उत्पन्न होता है तो उन्हें ऐसे किसी विरोध को इस तरीके से सुलळाने का प्रयास करना चाहिए जिससे सार्वजनिक हित के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।

(v) सदस्यों को सभा में कोई मत देने या न देने के लिए, किसी विधेयक के पुरःस्थापित करने के लिए, किसी संकल्प को उपस्थित करने या संकल्प को उपस्थित न करने के लिए कोई प्रश्न पूछने या प्रश्न पूछने से प्रविरत रहने के लिए अथवा किसी संसदीय समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए कभी भी कोई फीस, पारिश्रमिक या फायदा प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे स्वीकार करना चाहिए।

(vi) सदस्यों को ऐसा कोई उपहार नहीं लेना चाहिए जिससे उनके सरकारी कर्त्तव्यों का ईमानदारी से तथा निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करने में बाधा पहुँचती हो। तथापि, वे आनुषंगिक उपहार, अथवा मितव्ययी भेंट और रूढ़िगत आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं।

(vii) सार्वजनिक पदों के धारक सदस्यों को सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग इस रीति से करना चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो।

[#] परिवार के निकट सदस्यों में पति/पत्नी, आश्रित पुत्रियाँ और आश्रित पुत्र शामिल हैं।

(viii) यदि सदस्यों के पास संसद सदस्य अथवा संसदीय समितियों के सदस्य होने के नाते, कोई गोपनीय जानकारी है तो उन्हें अपने निजी हित साधने के लिए इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए।

(ix) सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रमाण पत्र देने से बचना चाहिए जिनके बारे में उनको व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है और जो तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(x) सदस्यों को ऐसे किसी मुद्दे को तत्काल समर्थन नहीं देना चाहिए जिसके बारे में उन्हें जानकारी न हो अथवा अल्प जानकारी हो।

(xi) सदस्यों को उन्हें उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं और सुख सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

(xii) सदस्यों को किसी भी धर्म के प्रति अनादर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की प्रोन्नति के लिए कार्य करना चाहिए।

(xiii) सदस्यों को संविधान के भाग 4क में सूचीबद्ध मूल कर्त्तव्यों को अपने मन में सर्वोपरि स्थान देना चाहिए।

(xiv) सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में उच्चस्तरीय नैतिकता, प्रतिष्ठा, शालीनता और मूल्यों को बनाये रखें।

******